झारखण्ड सरकार

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

अधिसूचना

राँची, दिनांक : 25 अप्रैल 2014

संख्या – स० क० –कि0न्या0–356 / 2013 – 306 महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची से प्राप्त पत्र सं0– 3284 / Apptt. दिनांक–05.03.2014 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड– बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा), चतरा, पलामू (डालटेनगंज), देवघर, धनबाद, दुमका, गढवा, गिरिडीह, गोड्डा, कोडरमा, लोहरदगा एवं राँची जिला के लिए नियुक्त प्रधान मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण के फलस्वरुप माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा उक्त जिलों के किशोर न्याय बोर्डो के लिए अध्यक्ष / प्रधान मजिस्ट्रेट का मनोनयन किया गया है। इस मनोनयन के आलोक में उक्त 13 जिलों में निम्नांकित न्यायिक दण्डाधिकारी को उनके नाम के समक्ष अंकित जिलों के लिए किशोर न्याय बोर्डो के अध्यक्ष / प्रधान मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं :–

क्रम	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष / प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम / पदनाम	सम्बद्ध जिला
1	2	3
1	श्री सुनील दत्त द्विवेदी, न्यायिक दण्डाधिकारी, बोकारो	बोकारो
2	मिस लूसी सोसेन तिग्गा, न्यायिक दण्डाधिकारी, चाईबासा	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)
3	श्री राजेश कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा	चतरा
4	मिस अर्चना कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी, डालटेनगंज	पलामू (डालटेनगंज)
5	श्री देवाशीष महापात्र न्यायिक दण्डाधिकारी, देवघर	देवघर
6	श्रीमती कल्पना हजारिका न्यायिक दण्डाधिकारी, धनबाद	धनबाद
7	श्री सचिन्द्र बिरुवा न्यायिक दण्डाधिकारी, दुमका	दुमका
8	श्री राजेश कुमार सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी, गढ़वा	गढ़वा
9	मो0 आसिफ इकबाल न्यायिक दण्डाधिकारी, गिरिडीह	गिरिडीह
10	श्री आनन्द सिंह न्यायिक दण्डाधिकारी, गोड्डा	गोड्डा
11	श्री अरबिन्द कुमार नं0–2 न्यायिक दण्डाधिकारी, कोडरमा	कोडरमा
12	श्री शेखर कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा	लेहरदगा
13	श्री लक्ष्मीकान्त न्यायिक दण्डाधिकारी, राँची	राँची

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रंजीता हेम्ब्रम)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप सं० – स० क० –कि0न्या0–356 / 2013 306 राँची, दिनांक –25 अप्रैल, 2014

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 50 प्रतियाँ विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

(रंजीता हेम्ब्रम)
सरकार के उप सचिव

522
28/1/14

झारखण्ड सरकार
विधि (न्याय) विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, राँची–834004

–:: अधिसूचना ::–

अधिसूचना संख्या–बी01/विधि (कोर्ट गठन)–280/2013– /जे0 राँची, दिनांक– जनवरी, 2014

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद्, झारखंड सरकार की स्वीकृति के आलोक में झारखंड राज्य के सभी न्यायमंडलों के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–1 एवं न्यायायुक्त–1 राँची के न्यायालय को अगले आदेश तक लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय पदभिहित (Designate) किया जाता है।

2. विशेष न्यायालयों के लिए पदभिहित (Designate) किये जाने वाले जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–1 एवं न्यायायुक्त–1 राँची के पदों के संधारण हेतु अलग से वेतनादि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति)
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची ।

अधिसूचना संख्या–बी01/विधि (कोर्ट गठन)–280/2013– /जे0 राँची, दिनांक– जनवरी, 2014

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पो0–डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।

ह0/–
(बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति)
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची ।

अधिसूचना संख्या–बी01/विधि (कोर्ट गठन)–280/2013– /जे0 राँची, दिनांक– जनवरी, 2014

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001/सदस्य, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति)
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची ।

अधिसूचना संख्या–बी01/विधि (कोर्ट गठन)–280/2013– 161 /जे0 राँची, दिनांक–27 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि–प्रधान महालेखाकार, झारखंड, पो0–डोरंडा, राँची/महामहिम राज्यपाल जी के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, झारखंड, राँची/महानिबंधक, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/निगरानी ब्यूरो, झारखंड, राँची/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रधान न्यायायुक्त, राँची सहित)/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/सभी उपायुक्त, झारखंड/सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.01.14
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

अधिसूचना

राँची, दि० : 28 सितम्बर 20113

संख्या – स० क०–कि0या0 – 77/2010 –1714 / राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा – 35 एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के नियम – 63 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित गृहों का निरीक्षण करने तथा उनके दिन–प्रतिदिन के कार्यों के निगरानी रखने के लिए **जिला निरीक्षण समिति** का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

क्रम	जिले का नाम	चयनित पदेन/सामाजिक कार्यकर्त्ता सदस्य
1	2	4
1	सिमडेगा	1. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सिमडेगा 2. विशेष कार्य पदाधिकारी, सिमडेगा 3. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिमडेगा 4. परिवीक्षा पदाधिकारी, सिमडेगा 5. श्री तेजबल, द्वारा– श्री जितेन्द्र अशोक, सहभागी कम्प्यूटर के बगल मुख्य डाकघर के उत्तर, मुख्य पथ डाकघर+थान+जिला–सिमडेगा

1. इस निरीक्षण दल का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
2. प्रत्येक निरीक्षण दल, अधिसूचित गृहों के विकास और सुधार के लिए सुझाव देगा।
3. निरीक्षण दौरा कम से कम तीन सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
4. निरीक्षण दल गृहों का निरीक्षण या तो पूर्व सूचना देकर या आकस्मिक कर सकेगा।
5. दल गृहों के निरीक्षण के दौरान उनके कल्याण को अवधारित करने और उसके अवरोधों को दूर के लिए बालकों से विचार–विमर्श करेगा।
6. जिलावार गठित निरीक्षण दल अधिनियम की धारा – 62 की उपधारा – (3) के अनुसार **जिला सलाहकार बोर्ड** के रूप में कार्य करेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(बसंत कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं० – स० क०–कि0या0 – 77/2010 – 1714 राँची, दिनांक : 28 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 20 प्रतियाँ विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

(बसंत कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

रॉंची, दिनांक – 07/11/2013

संख्या – स० क० – कि०न्या०/चयन समिति – 93/2009 – 1927- झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत केन्द्र सरकार के किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) 'नियम' 2007 के नियम–91 के प्रावधान के आलोक में इस विभाग के अधिसूचना सं0–407 दिनांक–14.03.2013 एंव शुद्धि पत्र सं0–1619 दिनांक–18.09.2013 के द्वारा गठित चयन समिति का पुनर्गठन महानिबंधक झारखण्ड उच्च न्यायालय, रॉंची के पत्र सं0–12714/Apptt. दिनांक– 25.10.2013 के क्रम में निम्न रूप से किया जाता है :–

1. श्री आर0के0 मेरठिया, माननीय न्यायमूर्त्ति, झारखण्ड उच्च न्यायालय (सेवानिवृत्त), सम्प्रति अध्यक्ष, निजी तकनीकी संस्थाओं के शुल्क ढॉंचा निर्धारण समिति, रॉंची	–	अध्यक्ष
2. श्रीमती रुप लक्ष्मी मुण्डा, अध्यक्षा झारखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग	–	सदस्य
3. (i) विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची	–	सदस्य
(ii) विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग, रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची	–	सदस्य
4. विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधि	–	सदस्य
5. (i) डा0 अलका निजामी,स्वयंसेवी संस्था, दीप शिखा, स्वामी श्रद्धानन्द रोड, रॉंची के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(ii) श्रीमती प्रीति श्रीवास्ताव, बाल संरक्षण पदाधिकारी, यूनिसेफ, झारखण्ड	–	सदस्य
6. निदेशक, समाज कल्याण झारखण्ड, रॉंची	–	सदस्य सचिव

यह समिति झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किशोर न्याय नियम–2007 के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में किशोर न्याय बोर्डों, बाल कल्याण समितियॉं, विभिन्न स्तरों के निरीक्षण दलों तथा विभिन्न स्तरों के सलाहकार बोर्डों का गठन करने एवं रिक्तियों को भरने के लिए अर्हताप्राप्त सदस्यों के नामों की अनुशंसा एवं समितियों आदि के कार्यकाल के विस्तार की अनुशंसा राज्य सरकार को समर्पित करेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राजीव अरुण एक्का)
सरकार के सचिव

ज्ञाप सं० – स०क०–कि०न्या०/चयन समिति–93/2009 – 1927 राँची, दिनांक :– 07/11/2013
प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

(राजीव अरुण एक्का)
सरकार के सचिव

ज्ञाप सं० – स०क०–कि०न्या०/चयन समिति–93/2009 – 1927 राँची, दिनांक :– 07/11/ 2013
प्रतिलिपि :– श्री आर०के० मेरठिया, माननीय न्यायमूर्त्ति, झारखण्ड उच्च न्यायालय (सेवानिवृत्त), सम्प्रति अध्यक्ष, निजी तकनीकी संस्थाओं के शुल्क ढाँचा निर्धारण समिति, राँची/ श्रीमती रुप लक्ष्मी मुण्डा, अध्यक्षा, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राँची/निदेशक, समाज कल्याण झारखण्ड, राँची/विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची/विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची/विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड सरकार/ डा0 अलका निजामी,स्वयंसेवी संस्था, दीप शिखा, स्वामी श्रद्धानन्द रोड, राँची/श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, बाल संरक्षण पदाधिकारी, यूनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव अरुण एक्का)
सरकार के सचिव

ज्ञाप सं० – स०क०–कि०न्या०/चयन समिति–93/2009 – 1927 राँची, दिनांक :– 07/11/2013
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड, राँची/पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड/कारा निरीक्षक/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/निदेशक, न्यायिक अकादमी, मेयर्स रोड, राँची/सभी जिला सत्र न्यायाधीश/सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्यों/सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली/अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार/अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव अरुण एक्का)
सरकार के सचिव

36
61
97

झारखण्ड सरकार

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

अधिसूचना

राँची, दिनांक : 28 सितम्बर, 2013

संख्या – स० क०–कि0या0 – 77 / 2010 – 1713 / राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा – 29 एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली 2007 के नियम –19 के प्रावधानों के अनुरुप निम्न जिलों में बाल कल्याण समितियों का गठन चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नवत् किया जाता है:–

क्रम	जिले का नाम	बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्यों के नाम
1	2	3
1	राँची	1. डा0 ओम प्रकाश सिंह पिता– डा0 सीता राम राय, – अध्यक्ष विनायक क्लीनिक, एच0–107 हरमू हाउसिंग, कॉलोनी–834002 2. श्रीमती जहाँ आरा पिता– मो0 अबुल हसन – सदस्य मुहल्ला–हाथीखाना पो–डोरण्डा,राँची–834002 3. श्री योगेन्द्र प्रसाद पिता– श्री मोहन साव – सदस्य म0स0–328, रोड नं0–4, बसंत बिहार हरमू, राँची–834002 4. श्री अफजल हुसैन पिता– मनीरुद्दीन अंसारी – सदस्य ग्राम–फिर्दौस नगर, फुसरा टांड, माण्डर प्रखण्ड+पो0– माण्डर जिला–राँची–835214
2	गुमला	1. श्रीमती तागरेन पन्ना, – अध्यक्ष पिता– स्व0 जसपर पन्ना ग्राम–चेटर सरना टोली; पो0+जिला–गुमला 2. श्री अलख नारायण सिंह, – सदस्य पिता–श्री बालेश्वर सिंह, ग्राम– अलंकेरा पो0– बघिमा, जिला– गुमला–835207
3	सिमडेगा	1. श्री शीतल प्रसाद, – अध्यक्ष पिता–स्व0 किशुन साव, शीतल प्रसाद सचिव विद्या वनस्थली शिक्षा समिति, मुख्य पथ, विद्याभवन जुनियर कैम्ब्रीज स्कूल, सिमडेगा 2. श्रीमती कंचन रानी एक्का – सदस्य पिता–श्री चन्द्र देव उरांव ग्राम+थाना– तोली डी0एस0पी0 गली सिमडेगा पो0+जिला– सिमडेगा 3. श्रीमती पुष्पा कुमारी – सदस्य पिता –श्री बैजनाथ सिंह, पिता–शंकर सिंह, कुंज नगर, जलडेगा, सिमडेगा–835223
4	लोहरदगा	1. श्रीमती मालती वर्मा, – अध्यक्ष पिता–स्व0 सरयू प्रसाद, प्राचार्या, मधुसूदन लाल अग्रवाल महिला महाविद्यालय, बरवा टोली, लोहरदगा 2. श्री गनौरी राम – सदस्य पिता– स्व0 रामेश्वर राम ग्राम+मो0– न्यू एरिया हब्शी कॅम्प पो0–हेहल, जला– राँची– 834005

		3. श्रीमती मनोरमा एक्का पिता–निरंजन एक्का चेटर बगीचा पो0– लोहरदगा– 835302 4. बाल कृष्ण सिंह, पिता–श्री शिव प्र0 सिंह, ग्राम– भैसमुन्दो पो–मसमानी, थाना–भण्डरा जिला– लोहरदगा– 835302	– सदस्य – सदस्य
5	हजारीबाग	1. सुश्री रजनी किरण, पिता–स्व0 राधे श्याम, 'दर्पण' ग्राम–लाखे, चानो रोड, पो0– कोर्रा जिला – हजारीबाग 2. श्री बबलू कुमार, पिता–श्री सुन्दर राम एस0बी0 भवन, सखीचन्द्र कॉलोनी, मटवारी, थाना–सदर, जिला– हजारीबाग 3. श्री स्वपन मन्ना, पिता–श्री राम कृष्ण मन्ना 104, विजय इनक्लेव हिराबाग चौक, मटवारी, हजारीबाग-825301 4. श्रीमती स्वपना शबनम नन्दी, पिता–स्व0 ए0डी0 नन्दी हरनगंज, पो0– कॉलेज मोड़ हजारीबाग–825301	– अध्यक्ष – सदस्य – सदस्य – सदस्य
6	धनबाद	1. श्रीमती नीता सिन्हा, पिता–श्री प्रो0 के0पी0 सिन्हा, हेमटायर (अविष्कार) लूबी सर्कुलर रोड, धनबाद, पो0+थाना+ जिला–धनबाद– 836001 2. श्री देवेन्द्र शर्मा, पिता–श्री राजेन्द्र शर्मा, मो0– पंजाबी मुहल्ला पचगढ़ी बाजार , पो0– कतरासगढ़, जिला–धनबाद 3. श्री सुदीप कुमार गुप्ता, पिता–श्री अम्बिका प्र0 गुप्ता भगत मुहल्ला , पो0– कतरासगढ़ , थाना– कतरास, जिला–धनबाद 4. श्रीमती पिम्मी खातुन, पिता–स्व0 मो0 जमिल खान लाल बंगला कॉ–आप, कॉलोनी पो0– के0जी0 आश्रम, थाना– गोविन्दपुर, धनबाद	– अध्यक्ष – सदस्य – सदस्य – सदस्य
7	गिरिडीह	1. श्रीमती रेणु वर्मा, पिता– स्व0 नागेश्वर महतो, अनुप कु0 सिन्हा, अलकापुरी, गिरिडीह 2. श्रीमती सुनीता प्रसाद, पति– बसंत कुमार सिन्हा, इन्द्रपुरी कॉलोनी, अरगाघात रोड, गिरिडीह 3. श्रीमती विभा झा, पिता– श्री जयदेव झा, अरगाघात रोड, राजपुत मोहल्ला, गिरिडीह 4. श्रीमती वीणा झा, पिता स्व0 राम सुन्दर झा, बीणा झा C/o श्री शशि कुमार पाठक, बरगन्डा, कॉपरफील्ड, गिरिडीह	– अध्यक्ष – सदस्य – सदस्य – सदस्य

		5. श्री सुरेश प्रसाद, — सदस्य पिता— श्री बुधन महतो, ग्राम—केन्द्र आगढ़हा, पो0— मोतीलेदा थाना— बेंगाबाद जिला—गिरिडीह—815302
8	बोकारो	1. श्री जनार्द्धन प्रसाद चौधरी, — अध्यक्ष पिता—भावदेव प0 चौधरी सेक्टर-12/बी, क्वार्टर—3548, पो0— सेक्टर—12 जिला— बोकारो 2. श्री अम्बुज कुमारी, — सदस्य पिता—श्री महेश्वर महतो, क्वाटर नं0— डी0—33 / 193 टी0टी0पी0एस0 कॉलोनी लालपनिया, पो0+थाना— लालपनिया, जिला— बोकारो 3. श्री अश्विनी कुमार, — सदस्य पिता— श्री अनन्त प्र0 तिवारी, धारा जसीडीह रोड, जैनामोड़ बांधडीह, बोकारा—829301 4. श्री शबनम परवीन — सदस्य पिता— सैयद अली अकबर, पो0— सण्डे बाजार, लम्बी सेन्टर, क्वार्टर नं— W/D 554 बेरमो, बोकारो—829127
9	चतरा	1. श्री मिनहाजुल हक, — अध्यक्ष पिता—शफीक अहमद 205 / 16 रहमतकदा रहमत चौक, लाईन मुहल्ला पो0+जि0— चतरा पिन— 825401 2. श्री नर्मदेश्वर सिंह — सदस्य पिता— श्री कामेश्वर सिंह ग्राम—ईचाक खुर्द, पो0— नावाडीह थाना— सिमरिया जिला— चतरा— 825408 3. श्री महावीर साहु, — सदस्य पिता— स्व0 नन्दक साहु, चतरा चन्दू निकेतन, दीभा फुनैनिया तालाब पो0+जि0—चतरा पिन— 825401 4. श्री हरि शंकर झा — सदस्य पिता— स्व0 प्रो0 शंभू शंकर झा प्रो0 कॉलोनी पो0+थाना+जिला—चतरा 5. श्रीमती ज्योति झा — सदस्य पिता— स्व0 विनय कुमार मिश्रा, पति— श्री विपिन बिहारी झा, प्रोफेसर कॉलोनी पो0+ जिला—चतरा, पिन— 825401
10	पूर्वी सिंहभूम	1. श्री कुमार महेश, — अध्यक्ष पिता— श्री विष्णु देव यादव, C/o अमर सिंह शर्मा लाईन उलिडीह डिमना रोड, मानगो जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम 2. श्री सुनील प्रसाद, — सदस्य पिता— श्री चन्द्रदीप प्रसाद, द्वारा सुजल इलेक्ट्रीकल, हीरामन पैलेस, डिमना रोड, मानगो जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

11	प0सिंहभूम	1. श्री विकास दोद राजका — अध्यक्ष पिता— स्व0 विश्वनाथ दोदराजका, मुख्य डाकघर के सामने पो0—चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम 2. श्री सुमित कुमार विश्वकर्मा — सदस्य पिता— स्व0 राज कुमार विश्वकर्मा C/o विकास कोचिंग सेन्टर, ग्राम—गुड साई पो0—चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम 3. श्री संजय कुमार बिरुवा — सदस्य पिता—स्व0 बुध राम बिरुवा, मो0— मोहूल साई रोड, नियर पोद्दार सर्विस स्टेशन पो0—चाईबासा, थाना— मुफस्सिल, पश्चिमी सिंहभूम -833201
12	पलामू	1. श्रीमती अंजुम परवीन — अध्यक्ष पिता— एम0 वजीह उद्दीन, मुस्लिम नगर डालटेनगंज 2. श्री पंकज लोचन, — सदस्य पिता—श्री कामेश्वर प्रसाद कर्ण, मो0— नावाटोली, निकट— श्री इन्दर सिंह नामधारी आवास, पो0— मेदिनीनगर जिला पलामू—822101 3. श्री पुनम कुमारी , — सदस्य पिता—स्व0 नन्द किशोर प्र0 गुप्ता, पति—श्री आशोक कुमार गुप्ता, एल0एम0 विद्या केन्द्र मो0— रिफ्युजी कॉलोनी हमीमगंज, मेदिनीनगर,पलामू 4. श्री प्रमोद कुमार सिंह, — सदस्य पिता—श्री राम लखन सिंह, आदर्श नगर, बैरिया चौक, पो0—सुदना, थाना— डालटेनगंज
13	गढ़वा	1. श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, — अध्यक्ष पिता— श्री सत्यदेव त्रिपाठी, ग्राम— चेचरिया, पो0— अटौला, थाना—मेराल, जिला— गढ़वा 2. श्रीमती सपना मुखर्जी, — सदस्य पिता— सुब्रतो कुमार मुखर्जी, पिपराकला, गढ़वा 3. श्री राम कृष्ण शुक्ला, — सदस्य पिता— श्री परमेश्वर शुक्ला, सा0—दी पुर्वे मुहल्ला, टाउन हॉल के निकट वार्ड सं0—6 थाना+जिला— गढ़वा
14	दुमका	1. डॉ0 बबीता कुमारी अग्रवाल, — अध्यक्ष पिता—स्व0 बाबू लाल अग्रवाल, हरिसभा रोड दुमका, जिला— दुमका—814101 2. श्रीमती नुतन बाला, — सदस्य पिता—स्व0 श्री रामानन्द प्रसाद, C/o स्व0 श्री सत्येन्द्र कुमार गोशाला रोड, दुधानी, दुमका 3. श्री अनिल मोहन ठाकुर, — सदस्य पिता—जी केशव मोहन ठाकुर, मो0— रसिकपुर (बेथल मिशन स्कूल के बगल मे), पो0+जिला— दुमका— 814101 4. श्री सिकन्दर मंडल, — सदस्य पिता—स्व0 मणिलाल मंडल, +2 नेशनल हाई स्कूल दुमका के सामने, मो0— दुधानी पो0+थाना+जिला— दुमका—814101

		5. श्रीमती अन्नू, पिता–स्व0 भोला लाल, सचिव, मानवी, प्रोफेसर कॉलोनी शिव पहाड़, दुमका–814101	– सदस्य
15	देवघर	1. श्रीमती कविता झा, पिता–स्व0 नागेश्वर झा, परम प्रकाशानन्द झा पथ, इसीसी रोड, विलासी टाउन, देवघर	– अध्यक्ष
		2. श्रीमती अपर्णा मिश्रा, पिता– श्री सुधीर कु0 मिश्रा, पो0–जसीडीह, सिमरिया,जिला–देवघर	– सदस्य
		3. श्री संजय कुमार उपाध्याय, पिता– डा0 ब्रज किशोर उपाध्याय, मुरार भवन, शीतल मल्लिक रोड, विलासी टाउन, देवघर–814117	– सदस्य
16	गोड्डा	1. श्री प्रदीप कुमार सिंह, पिता–स्व0 शिवेन्दु नाथ सिंह, मो0–सत्यनगर, गोड्डा, पो0+जिला– गोड्डा पिन– 814133	– सदस्य
		2. श्रीमती मुसर्रत जियातारा जियाउद्दीन मो0 सोयब, मोहल्ला–चपरासी टोला पो0 +जिला– गोड्डा	– सदस्य
17	पाकुड़	1. डा0 शम्भु कुमार यादव, पिता–स्व0 कमलेश्वरी प्रसाद यादव, मो0– यादव भवन, बलिहारपुर, पो0+थाना+जिला– पाकुड़– 816107,	– अध्यक्ष
		2. मो0 साबिरुद्दीन, पिता– मनजूल हक, ग्राम+पो0–सीतेशनगर, थाना+जिला–पाकुड़ पिन– 816107	– सदस्य
		3. डा0 सुभेन्दु विकास मंडल, पिता– स्व0 कर्न्दप मंडल, मुहल्ला– राजापाड़ा, पो0+थाना+जिला–पाकुड़ पिन– 816107	– सदस्य
		4. डा0 अशोक कुमार यादव, पिता– स्व0 रघुनाथ प0 यादव, मु0– बलिहारपुर वार्ड सं0–17 पो0+ जिला–पाकुड़	– सदस्य
18	साहेबगंज	1. श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, पिता–स्व0 राम प्रवेश पाण्डेय, नया टोला पुरानी साहेबगंज, थाना– साहेबगंज नगर, पो0+जिला– साहेबगंज	– सदस्य
		2. श्रीमती बबीता कुमारी, पिता–स्व0 बेनी माधव राय, ग्राम– गुल्लीभट्ठा, थाना+पो0+जिला– साहेबगंज	– सदस्य

1. प्रत्येक बाल कल्याण समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगी।

2. देख–रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक/बालिका जब समिति के समक्ष पेश किया जाएगा/की जाएगी तो समिति उन मामलों का निष्पादन अधिनियम तथा नियमावली में अंकित प्रावधानों के अनुसार करेगी।

3. मनोनीत अध्यक्ष/सदस्य इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के समक्ष देंगे।

4. बाल कल्याण समिति के कार्यकाल संबंधित जिलें में दिनांक– 01.10.2013 के प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(बसंत कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं० – स० क०–कि0या0 – 77/2010 – 1713 रॉंची, दि० 28 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, डिनू, रॉंची को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 20 प्रतियाँ विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

(बसंत कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं० – स० क०–कि0या0 – 77/2010 – 1713 रॉंची, दि० 28 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड, रॉंची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रॉंची/पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड/कारा निरीक्षक/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रॉंची/ महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रॉंची/सभी विभागीय सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड/सभी उपायुक्त/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली/अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार/अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली/सभी बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बसंत कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

अधिसूचना

राँची, दिनांक :28 सितम्बर, 2013

संख्या – स० क०–कि0या0 – 77/2010 –1712/ राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा – 4 एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के नियम – 4 के प्रावधान के अनुरूप निम्नांकित जिलों में किशोर न्याय बोर्डों का गठन चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नवत् किया जाता है :–

क्रम	बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों के नाम	सम्बद्ध जिला
1	2	3
1	1. श्री राजेश सिन्हा, – अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट न्यायिक आधिकारी, राँची 2. श्रीमती सोनी राम वर्मा – सदस्य पिता– श्री हरिहर वर्मा मो0 राजा हाता राज संस्कृत कॉलेज के पास जिला–राँची–834001 3. श्रीमती माया सिंह सिसोदिया – सदस्य पति–श्री मुकुल प्रसाद सिंह सिसोदिया हाउस शास्त्री नगर, काँके रोड, राँची	राँची
2	1. मो0 उमर, – अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी, गुमला 2. श्री शम्भु सिंह – सदस्य पिता– श्री फागु सिंह, ग्राम–अम्बोआ पो0– ढैढ़ोली थाना+जिला– गुमला 3. रिक्त –	गुमला
3	1. श्रीमती कल्पना हजारिका, – अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट न्यायिक दण्डाधिकारी, दुमका 2. डा0 वाणी सेनगुप्ता, – सदस्य पिता–स्व0 डा0 धीरेन्द्र मोहन सेनगुप्ता श्री राम पाड़ा, दुमका, पिन– 814101 3. रिक्त	दुमका
4	1. श्री सूर्यमणी त्रिपाठी, – अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी, जामताड़ा 2. श्री शुभोजित मुखर्जी, – सदस्य पिता–श्री सुशील कुमार मुखर्जी कोर्ट रोड (पाल बागान) पो0+थाना+जिला– जामताड़ा 3. श्रीमती मुक्ता मंडल, – सदस्य पिता– श्री राधा रमण मंडल जामताड़ा न्यू टाउन, पो0+थाना+जिला– जामताड़ा	जामताड़ा

क्रम	बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों के नाम	सम्बद्ध जिला
1	2	3
5	1. श्री अजय कुमार सिंह, — अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट न्यायिक दण्डाधिकारी, देवघर 2. डा0 अखिलेश प्रताप सिंह , — सदस्य पिता– स्व0 मार्कण्डेय सिंह, प्रताप हाउस शीतल मल्लिक रोड मोहल्ला–बिलासी टाउन, देवघर–814117 3. श्रीमती सुचित्रा झा , — सदस्य पिता– स्व0 श्याम किशोर झा, डा0 बी0के0 चौधरी, जी0एल0 मोटर के पीछे, पं0 बी0एन0 झा पथ, पोखना टिल्ला, देवघर– 814112	देवघर
6	1. श्री सूरज प्रकाश ठाकुर, — अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट न्यायिक दण्डाधिकारी, पाकुड़ 2. श्रीमती रितु प्राण्डेय, — सदस्य पिता– श्री तुलसी पाण्डेय मुहल्ला– राजापाड़ा, थाना+जिला– पाकुड़, पिन–816107. 3. रिक्त —	पाकुड़
7	1. श्री आनन्द मनी त्रिपाठी — अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट न्यायिक दण्डाधिकारी, साहेबगंज 2. श्री शिव शंकर दूबे, — सदस्य पिता– श्री युगल किशोर दूबे श्री शिव शंकर दूबे, चौधरी कॉलोनी , चैतिदूर्गा स्थान साहेबगंज 3. रिक्त	साहेबगंज
8	1. श्री नीरज कुमार, — अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट न्यायिक दण्डाधिकारी, बोकारो 2. श्रीमति ममता मिश्र — सदस्य पिता–श्री विद्यानन्द मिश्र क्वाटर नं0–1075 सेक्टर–4 बी0,बी0एस0सिटी, बोकारो 3. श्री विनय कुमार सिंह — सदस्य पिता–स्व0 राजेश्वर सिंह क्वाटर नं0–4034 सेक्टर–XI/C, बोकारो इस्पात	बोकारो
9	1. श्री तरुण कुमार — अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा 2. श्रीमती संध्या प्रधान, — सदस्य पति–श्री किरण कु0 प्रधान, मो0–दिभा वार्ड नं0–19, पो0+जिला–चतरा–825401, 3. श्रीमती श्वेता जायसवाल, — सदस्य पिता–स्व0 गोपाल लाल जायसवाल, मारवाड़ी मुहल्ला चतरा, जिला–चतरा	चतरा
10	1. श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, — अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणीन्यायिक दण्डाधिकारी, कोडरमा 2. श्रीमती जयश्री द्विवेदी, — सदस्य पिता– विधू भूषण द्विवेदी सी0डी0 कॉलोनी वार्ड नं0–4, झूमरी तिलैया, कोडरमा 3. रिक्त —	कोडरमा

क्रम	बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों के नाम	सम्बद्ध जिला
1	2	3
11	1. श्री अब्दुल नसीर, — अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट प्रभारी न्यायाधीश, हजारीबाग 2. श्रीमती प्रीति सिन्हा, — सदस्य पिता–स्व0 शिव शंकर प्रसाद, "त्रिलोकी विला" न्यू एरिया दूसरी गली (बेड फैक्टरी के पास) हजारीबाग 3. डा0 विनीता सिन्हा, — सदस्य श्री अलख कुमार सिन्हा डा0 सुवेन्दु जयपुरिया एच–35, हाउसिंग कॉलोनी दीपूगढ़ा, सारले जिला– हजारीबाग	हजारीबाग
12	1. श्री योगेश कुमार, — अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट न्यायिक दण्डाधिकारी, धनबाद 2. श्रीमती पुष्पा सिंह — सदस्य पिता– श्री बृजमोहन सिंह, द्वारा सुरेश सिंह (प्रबंधक), झारिया रेलवे गेट पार पो0– झारिया जिला–धनबाद –828111 3. रिक्त	धनबाद

उपर्युक्त गठित किशोर न्याय बोर्डों को उनके नाम के सामने अंकित जिलों के मामलों की सुनवाई हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

1. किशोर न्याय बोर्डों के अध्यक्ष/सदस्य किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगें। जिसकी व्यवस्था निकट भविष्य में राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोर्ड/न्यायपीठ को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होगी।
3. प्रत्येक बोर्ड की कालावधि तीन वर्ष की होगी और सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड की कालावधि के साथ समाप्त हो जाएगी।
4. विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलो की जाँच तथा निष्पादन गठित बोर्ड द्वारा अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
5. प्रत्येक बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्त्ता सदस्यों को बोर्ड द्वारा आहूत बैठक में भाग लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित बैठक भत्ता देय होगा।
6. बोर्ड के गठन हेतु महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किशोर न्याय (बच्चों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2007 के नियम–91 के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त है।
7. उपर्युक्त किशोर न्याय बोर्डो के कार्यकाल संबंधित जिलें में दिनांक–01.10.2013 के प्रभाव से लागू होंगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
28/9
(बसंत कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं० – स० क०–कि0या0 – 77/2010 – 1712 रॉंची, दिनांक –28 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, रॉंची को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 50 प्रतियाँ विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

28/9
(बसंत कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं० – स० क०–कि0या0 – 77/2010 – 1712 रॉंची, दिनांक 28 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड, रॉंची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रॉंची/पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड/कारा निरीक्षक/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/निदेशक, न्यायिक अकादमी, मेयर्स रोड, रॉंची/सभी जिला सत्र न्यायाधीश/सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्यों/सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली/अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार/अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी सदस्य इस अधिसूचना निर्गत की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष देंगे।

(बसंत कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

(14) Sec. He, Female & Children

झारखंड सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना

सं– 7/म0उ0– 02/2009...917../ राँची, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची के संकल्प सं–स–क–कि0न्या0, स0 नि0– 173/2007–770, दि0 25.05.2009 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 (2000 का 56) (2006 के संशोधित अधिनियम–33 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 68 के अन्तर्गत अधिसूचित झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2003 को विलोपित करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2007 को झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सपूर्ण रूप से अंगीकृत किया गया है। उपर्युक्त अंगीकृत नियमावली के नियम 84 के अन्तर्गत जिला स्तर पर विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई **(Special Juvenile Police Unit)** के गठन का प्रावधान है।

2. उक्त नियम–84 में निहित प्रावधान के तहत झारखण्ड राज्य के सभी 24 जिलों में विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई (S.J.P.U) गठित की जाती है। उक्त नियम–84(1) के तहत प्रत्येक जिला इकाई के **नगर अंचल में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक** को संबंधित जिला के लिए इस अधिनियम/नियम के तहत अपराधों की रोक–थाम एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु **किशोर/बाल कल्याण पदाधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया जाता है ।**

3. प्रत्येक विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई में इसके अतिरिक्त दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें बाल कल्याण क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, प्रतिनियुक्त किये जाऐंगें। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवा प्रत्येक जिला में "जिला बाल संरक्षण इकाई" के रूप में स्थापित इकाई से प्राप्त की जायेगी, जिनमें कम से कम एक महिला होगी ।

4. पुलिस थाना के किशोर या बाल कल्याण पदाधिकारी वैसे पदाधिकारी होंगे जिन्हें इस प्रक्षेत्र में रूचि व प्रशिक्षण प्राप्त होगा तथा जो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की विशेष क्षमता रखते हो।

5. विशेष कि पलिस इकाई किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 मे विहित प्रावधानों के तहत कार्य करेगा तथा कूरता प्रताड़ना एवं शोषण के मामलों में सजग प्रहरी का कार्य करेगा ताकि ऐसे मामलों में न्यायिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

6. प्रत्येक थाना दो अलग–अलग रजिस्टर संधारित करेंगे जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को दर्ज किया जायेगा। इस रजिस्टर की जाँच वरीय पदाधिकारी संबंधित थाना में भ्रमण के दौरान करेंगे तथा उसमें अपना हस्ताक्षर भी अंकित करेंगे।

7. प्रत्येक **जिला के पुलिस अधीक्षक**, संबंधित जिला के **विशेष किशोर पुलिस** इकाई के प्रमुख होंगे एवं समय समय पर उनकी कार्यों की समीक्षा करेंगे।

8. राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित करने एवं किशोरों से संबंधित मामलों में पुलिस कार्रवाई को त्वरित करने के लिए **पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड रॉची को झारखण्ड राज्य के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनीत** किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 7/म0उ0– 02/2009...917../ रॉची, दिनांक ...24.02.2012

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक – 7/म0उ0– 02/2009..917.../ रॉची, दिनांक ..24.02.2012

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड रॉची/सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, रॉची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी पुलिस अधीक्षक झारखण्ड/मुख्य सचिव के सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग के निजी सहायक/प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ANN- H

Annexure- H
43

पुलिस आदेश संख्या 57 / 2013

विषय :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P. (C) N0- 75/2012 **Bachapan Bachao Andolan Vs. Union of India & Ors.** में परित न्यायादेश के आलोक में कार्रवाई हेतु।

उपर्युक्त विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Missing Children (लापता बच्चों) के संबंध में पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्रवाई हेतु व्यापक दिशा–निर्देश दिए गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के प्रासंगिक अंश (Relevant) एवं उस पर पुलिस अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई बिन्दुवार निम्नवत है :–

1- "We make it clear that, in case of every missing child reported, there will be an initial presumption of either abduction or trafficking, unless, in the investigation, the same provided otherwise. Accordingly whenever complain is filed before the police authorities regarding a missing child; the same must be entertained under Section 154 Cr.P.C. However, even in respect of complaints made otherwise with regard to a child, which may come within the scope of Section 155 Cr.P.C., upon making an entry in the Book to be maintained for the purposes of Section 155 Cr.P.C., and after referring the information to the Magistrate concerned, continue with the inquiry into the complaint. The Magistrate, upon receipt of the information recorded under Section 155 Cr.P.C., shall proceed, in the meantime, to take appropriate action under sub-section(2), especially, if the complaint relates to a child and in particular, a girl child."

अतः इस आदेश के पारित होने के पश्चात् सभी थाना प्रभारियों एवं सभी नियन्त्री तथा पर्यवेक्षी अधिकारियों की जवाबदेही है कि वह जब कभी भी गुमशुदा बच्चों की थाना में रिपोर्ट प्राप्त होती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में धारा 154 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करेंगे। यदि गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट/रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के बयान में किसी प्रकार के संज्ञेय अपराध की विवरणी उपलब्ध नहीं है तब भी उसे abduction (अपहरण) या trafficking (मानव तस्करी) मानते हुए इन अपराधों के लिए बने कानूनों की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करेंगे।

2. "Each police station should have, at least, one Police Officer, especially instructed and trained and designated as a Juvenile Welfare Officer in terms of Section 63 of the Juvenile Act."

पूर्व में पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची का द्वारा दिनांक 14.03.13 द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को निदेशित किया गया था कि प्रत्येक थाना में बाल कल्याण पदाधिकारी (Juvenile Welfare Officer) की नियुक्ति करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी

पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में प्रत्येक थाना में एक बाल अधिकारी को नामित करना सुनिश्चित करेंगे।

3- "Every found/recovered child must be immediately photographed by the police for purposes of advertisement and to make people aware of the missing child. Photographs of the recovered child should be published on the website and through the newspapers and even on the T.V. so that parents of the missing child could locate their missing child and recover him or her from the custody of the police".

सभी जिलों के D.C.B. (जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो) में Missing Person Bureau गठित है। Missing Person (लापता बच्चों) के संबंध में पुलिस हस्तक नियम 415 (1) एवं Appendix (परिशिष्ट)–81 में व्यापक दिशा निर्देश उपलब्ध है। सभी पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि उक्त दिशा निदेशों का कड़ाई से पालन हो साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यदि गुमशुदा व्यक्ति बच्चा है तो निम्न अतिरिक्त आदेश/व्यवस्था तत्काल लागू की जाती है :–

(क) संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि उक्त गुमशुदा बच्चों का फोटो/हुलिया एवं पूर्ण विवरणी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों/न्यूज चैनलों में प्रकाशित करायेंगे। (परन्तु यह कार्य करने से पूर्व गुमशुदा बच्चे के माता पिता/अभिभावक से लिखित अनुमति प्राप्त कर लेंगे, ताकि Juvenile Justice Act -2000 की धारा --21 का उलंघन न हो)।

(ख) सभी पुलिस अधीक्षक इन सभी गुमशुदा बच्चों की सम्पूर्ण विवरणी को www. trackingthemissingchild.gov.in पर अपलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे (भारत सरकार की महिला एवं बाल मंत्रालय के द्वारा उक्त वेवसाइट का संचालन किया जा रहा है तथा पूरे देश के सभी राज्यों के गुमशुदों का डाटा उक्त वेवसाइट पर उपलब्ध है)। यदि किसी पुलिस अधीक्षक को www. trackingthemissingchild.gov.in पर डाटा अपलोड करने में कठिनाई हो तो अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची से सहयोग प्राप्त करेंगे।

(ग). पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग (MPB (Missing Person Bureau) के प्रभार में) का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह के अन्त में सभी जिला के MPB से गुमशुदा व्यक्ति (विशेष कर गुमशुदा बच्चों) का हुलिया की विवरणी प्राप्त कर उसे झारखण्ड पुलिस की वेवसाइट jhpolice.gov.in पर अपलोड कराने हेतु CD/Pen drive में डाल कर प्रभारी पुलिस अधीक्षक, वितन्तु (जो jhpolice.gov.in के रख रखाव हेतु सक्षम अधिकारी है) को भेजेंगे। (उल्लेखनीय है कि पुलिस मैनुअल के प्रावधानों एवं चली आ रही परिपाटी के अनुसार पूर्व से ही अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रकाशित मासिक C.I.G. में अन्य विवरणी के अतिरिक्त गुमशुदा की विवरणी भी उपलब्ध रहती है। इस आदेश के माध्यम से उक्त चली आ रही परिपाटी में ये अतिरिक्त व्यवस्था लागू की गई है कि C.I.G. में प्रकाशन के अतिरिक्त विशेष गुमशुदा व्यक्तियों की विवरणी झारखण्ड पुलिस के वेवसाइट पर उपलब्ध रहे।

(45)

4- "In case where First Information Reports have not been lodged at all and the child is still missing, an F.I.R. should be lodged within a month from the date of communication of this Order and further investigation may proceed on that basis."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सुनिश्चित करेंगे कि पूर्व में लापता बच्चों के संबंध में भी इस आदेश को लागू किया जाय।

5-" Any private Home, being run for the purpose of sheltering children, shall not be entitled to receive a child, unless forwarded by the Child Welfare Committee and unless they comply with all the provisions of the Juvenile Justice Act, including registration."

.माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जब कभी गुमशुदा बच्चा या CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION (CINCP) प्राप्त होता है/पुलिस को मिलता है एवं उक्त बरामद/गुमशुदा बच्चा या CINCP को किसी Shelter Home में रखने की आवश्यकता है तो उक्त बच्चे को निजी Shelter Home में रखने के पूर्व CWC (बाल कल्याण समिति) के समक्ष अवश्य प्रस्तुत कर देंगे। बच्चे को Shelter Home में रखने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाय की Shelter Home, J.J. Act, के सभी प्रावधान (including registration) को अवश्य पूरा करता है।

(राजीव कुमार)
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1676/एन0जी0ओ0

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक– 06.08.2013

प्रतिलिपि :–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेल/अप0अनु0 विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, सभी प्रक्षेत्र/अप0अनु0 विभाग/ रेल सहित, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस उप–महानिरीक्षक, सभी क्षेत्र/अप0अनु0 विभाग/रेल सहित, झारखण्ड, को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची/जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं सुनिश्चित करें कि इस आदेश की एक प्रति सभी थाना प्रभारी/ओ0पी0 प्रभारी को अविलम्ब उपलब्ध कराई जाय।
5. सभी पुलिस अधीक्षक,(रेल सहित)/वितन्तु संवाद/अप0अनु0विभाग को सूचनार्थ एवं सुनिश्चित करें कि इस आदेश की एक प्रति सभी थाना प्रभारी/ओ0पी0 प्रभारी को अविलम्ब उपलब्ध कराई जाय।

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

215

ज्ञापांक 202 / म०शा०
सं०सं०–01 / 09
अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची।

दिनांक:- 16.3.12.

सेवा में,

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची / जमशेदपुर
सभी पुलिस अधीक्षक, (रेल सहित) झारखण्ड।

विषय:– Juvenile Justice (care and protection of children)Act 2000 and rules 2007 कड़ाई से अनुपालन करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि किशोर न्याय (बालकों के देखरेख व संरक्षण)अधिनयिम 2000 एवं संशोधित नियम 2007 जो बाल से संबंधित है, परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि कई जिलों में जानकारी या संवेदनशिलता के अभाव में पुलिस के द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जाती है। अतः इस संबंध में निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण हैः–

(1) किशोर / बालक की परिभाषा J.J. Act 2000 की धारा 2(K) के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, किशोर या बालक है।

(2) किशोर न्याय अधिनियम (J.J. Act) में दो प्रकार के बाल का उल्लेख है (1)child in need of care and protection जिसका उल्लेख J.J. Act की धारा 2(D)में दिया गया है एवं (2) Juvenile in conflict with Law जिसका उल्लेख (2) (L)में दिया गया है।

(3) उल्लेखनीय Juvenile in conflict with Law का अधिक वास्ता पुलिस अधिकारियों को पड़ता है, J.J. Act की धारा 2(L) के अनुसार Juvenile in conflict with Law ऐसा बाल है जो अपराध करने की तिथि को 18 वर्ष की उम्र पार नहीं किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति को बाल घोषित करने या न करने के लिए वर्तमान आयु महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि जिस दिन काण्ड करने का आरोप है उस तिथि को 18 वर्ष पार किया है या नहीं, महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के पॉच न्यायधोशों की पीठं के द्वारा प्रताप सिंह वनाम झारखण्ड राज्य में निर्णय दिया है कि J.J. Act के अन्तर्गत किसी बाल को बाल घोषित करने के लिए अपराध की तिथि मानी जायगी न कि न्यायालय में प्रस्तुत करने की तिथि मानी जायगी । किसी बाल की उम्र निर्धारित करने के लिए J.J. Act 2007 की धारा 12 मे विस्तृत उल्लेख है जिसका पालन कड़ाई से करने की आवश्यकता है।

(4) J.J. Act की धारा 63 एवं J.J. Rule 2007 की नियम 84 Special Juvenile Police unit से संबंधित है। राज्य सरकार गृह विभाग ने अधिसूचना संख्या–7 / म०उ0,02 / 2009–917 दिनांक 24.02 .2012 के माध्यम से राज्य के सभी जिला में SJPU का गठन किया गया है। (छाया प्रति साथ संलग्न है)।

(5) J.J. Act की धारा 63 एवं J.J. Rule 2007 का अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक जिला में पुलिस अधीक्षक SJPU के मुख्य होंगे, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार,उपर अंकित अधिसूचना के माध्यम से नगर अंचल के पुलिस निरीक्षक को नियम 84 (1) के निहित प्रावधान के

आलोक में SJPU का प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है।अतः सभी पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा क जाती है कि वे इस पत्र की प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अपने-अपने जिला के नगर अंचल - निरीक्षकों को उस जिला के SJPU के प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त करे एवं इससे संबं- जिलादेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

(6) J.J. Act की धारा 63(2) एवं J.J. Rule की नियम 84(3) के अन्तर्गत प्रावधान कि जिला के प्रत्येक थाना में एक पुलिस पदाधिकारी को Child Welfare Officer (C.W.O.) रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। J.J. Act की धारा 63 (2) निम्न प्रकार है:- " In every Polic Station at least one officer with aptitude and appropriate Training and orientation ma be designated as per " Juvenile or the child welfare officer" Who will handle th Juvenile or the child in co-ordination with the police"

उपरोक्त धारा से स्पष्ट है कि C.W.O. की प्रतिनियुक्ति करते समय पदाधिकारी aptitude and appropriate Training पर विशेष ध्यान दिया जाय। यदि थान में महिला पुलि पदाधिकारी उपलब्ध हो तो उन्हें इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। सभी पुलि अधीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जिला के प्रत्येक थाना के एक पुलिस पदाधिकारी ज बाल के प्रति संवेदनशील हो एवं अधिनियम की जानकारी रखता हो, को C.W.O. के रूप प्रतिनियुक्त करेंगे। सभी पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिला के प्रत्येक थाना में एक C.W. कीप्रतिनियुक्ति का संयुक्त जिलादेश निकालेंगे जिसमें पदाधिकारी का नाम दूरभाष संख्या उल्लेख करेंगे। जिलादेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाय।जब भी C.W.O. स्थानान्तरण थाना से होता है तो उनके स्थान पर नया पदाधिकारी अवश्य प्रतिनियुक्त की जाय।

(7) J.J. Rule 84(1) में प्रावधान है कि SJPU में दो समाज सेवी (Socia workers)को भी रखा जायगा जिन्हें बाल कल्याण के बारे में जानकारी हो जिसमें कम से कम एक महिला होगी । इस संबंध में गृह विभाग के अधिसूचना के धारा-3 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि समाज सेवी की सुविधा जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त की जायगी। उल्लेखनीय है कि भा सरकार के द्वारा ऐसी ICDSS(Intigrated child Devolopment Servises Sceam) लागू की ग है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक जिला में District Child Protection Committ (D.C.P.C.) एवं यूनिट का प्रावधान है अतः सभी पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिला में जि उपायुक्त से संपर्क कर जिला में कार्यरत D.C.P.C. की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(8) उल्लेखनीय है कि J.J. Rule 2007 नियम 84 (10) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के एक पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर के रूप में प्रतिनियुक्त किया जायगा, इस कार्य के लिए जो बाल संबंधित सभी प्रकार के मुद्दो पर समन्वय स्थापित करेगा । गृह विभाग ने अपनी अधिसूचना के पारा-8 के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक, अपर- अनुसंधान विभाग को नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनित किया है। अतः सभी पुलिस अधीक्षकों अपेक्षा की जाती है कि बाल संबंधित कोई विषय पर पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभा झारखण्ड रॉची से पत्राचार एवं विमर्श कर सकते हैं।

(9) उल्लेखनीय है कि J.J. Rule 84 (11) में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई पुलिस पदाधिकारी बाल को यातनायें देता है तो उसे सेवा मुक्त किया जायगा, एवं उस पर अभियोजन चलाया जाएगा। सभी पुलिस अधीक्षक कृपया इस संबंध में अपने अधीनस्थ सभी पुलि दाधिकारी को सूचित करेंगे। नियम निम्नवत है:- Any Police officer found guilty after du

inquiry of Torturing a child Mentally or Physically, shall be liable to be removed from service, bisides being prosecuted for the offence.

(10) J.J. Act अधिनियम 2000 की धारा 10 में बाल को गिरफ्तार करने से संबंधित अपनाये जाने वाले प्रकिया का उल्लेख है। सभी पुलिस अधीक्षक से अनुरोध है कि उक्त धारा को अवष्य स्वयं पढ़ लें तथा सभी अधिनस्थ पदाधिकारियों को भी अवगत करा दें। जब कभी कोई बाल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उस थाना के C.W.O. के अभिरक्षा में सौपा दिया जाय एवं उसे जल्द से जल्द J.J. Board के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। किसी भी परिस्थिति में बाल को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाय। तथा यदि बालक के parents/guardien से सम्पर्क ना हो पाये तो J.J. Act 2000 की धारा 13 (बी) के आलोक में गिरफ्तारी की सूचना probetionary officer को दी जाये।

(11) J.J. Act अधिनियम की धारा 13 में स्पष्ट प्रावधान है कि जहॉं किसी बाल को गिरफ्तार किया जाता है उसकी सूचना तत्काल उसके अभिभावक को दी जाये।

(12) J.J. Act अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि किसी बाल एवं व्यस्क पर एक साथ कार्रवाई नहीं की जायगी। अतः किसी काण्ड में कोई बाल एवं व्यस्क सह आरोपी है तब भी मात्र व्यस्क को ही सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा एवं बाल को J.J.B. के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाएगा।

(13) किसी बाल अपराधी के संबंध में अक्सर उसके उम्र के संबंध में विवाद उत्पन्न होते है इस संबंध में देश के विभिन्न न्यायालय में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। किसी बच्चे के उम्र का निर्णय लेने के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र सबसे अच्छा साक्ष्य है, परन्तु राज्य के देहाती क्षेत्र में मॉं–बाप बच्चों के जन्म का पंजियन नहीं कराते हैं, जिसके चलते बच्चों का उम्र के संबंध में निर्णय लेने में पुलिस को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मिल पाता है तो बच्चों के उम्र के संबंधमें विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी उम्र का निर्धारण करने के लिए सरकारी अस्पताल में चिकित्सीय जॉंच कराया जा सकता है।यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सीय जॉंच का रिपोर्ट अपने में संपूर्ण एवं पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जयमाला वनाम गृह सचिव जम्मू एवं कश्मीर–1982 में निम्न बातें कही है:– The age as ascertained by medical examitation is not conclusive proof of age, and judicial notice has been taken that it is a mere opinion of a doctor and the margin of error could be of 2 years on either side.

अतः अनुसंधानकर्ता किसी बाल की उम्र के संबंध में निर्णय लेते समय चिकित्सीय जॉंच से बाधित नहीं है और यदि अनुसंधान/जॉंच के कम में अन्य ऐसा साक्ष्य आते हैं तो उस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम इंगित करता है तो निर्णय उस व्यक्ति के हित में ही लिया जाय, और उस व्यक्ति को संदेह का लाभ दिया जाय। J.J. Act Rules 2007 के Rules 12 में किसी बाल की उम्र निर्धारित करने के विस्तृत प्रावधान का उल्लेख है। यदपि यह Rules मुख्य रूप से न्यायालय एवं J.J.B. के लिए है परन्तु किसी प्रकार के असमंजस कि स्थिति में इस Rules को guideline के रूप में लिया जा सकता है।

(14) S.J.P.U. के पदाधिकारियों के द्वारा जब कभी भी किसी बाल को J.J.B. के समय प्रस्तुत किया जाता है तो वो J.J.B. को एक रिपोर्ट समर्पित करेंगें जिसका स्वरूप निम्न प्रकार हो:– The SJPU or any other police personnel who produces a juvenile bfore the

JJB must submit a report before the JJB indicating the particulars of the case, viz., the name, age and address of the juvenile ; the crircumstances in which the juvenile was apprehended; that the juvenile was not lodged in police lock-up or jail; that the parents or guardian and PO have been informed about the juvenile's arrest; the reasons for delay, if production is after 24 hours of arrest; etc.

(15) यदि अनुसंधान के कम में यदि बाल को T.I.P. में रखा जाता है या उसे पूछताछ की जानी है तो इस संबंध में J.J.B. से स्वीकृती अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(16) J.J. Act की धारा 12 जो बाल के जमानत से संबंधित है उक्त धारा में किसी बाल को तब भी जमानत देने का प्रावधान है, यदि वह गैर जमानतीय धारा में आरोपित हो, बशर्ते कि वह शर्तों का उलंघन नहीं करता हो। अतः गैर जमानतीय धारा में भी थाना या J.J.B. के स्तर से बाल को जमानत दी जा सकती है। J.J.B. Act की धारा निम्न प्रकार है:–

Bail of juvenile.- (1) When any person accused of a bailable or non-bailable offence , and apparently a juvenile, is arrested or odetained or appears or is brought before a Board, such person shall,notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974) or in any other law for the time being in force, be released on bail with or without surety or placed undr the supervision of a Probattion Officer or undr the care of andy fit institution or fit perso, but he shall not be so released if there appear reasonalble grounds for believing that release is likely to bring him association with any known criminal or expose to moral, physical or psychological danger or that his release would defeat the ends of justice.

(2) When such person having been arrested is not released on bail under sub-section (1) by the officer incharge of the police station, such officer shall cause him to be kept only in an observation home in the prescribed manner unitil he can be brought befor a Board .

(3) When such person is not released on bail under sub-section (1) by the Board it shall, instead of committing him to prison, make an order sending him to an observation home or a place of safety for such period during the pendency of the inquiry regarding him as may be specified in the order.

(17) किसी भी परिस्थिति में बाल को थाना हाजत में बन्द नहीं किया जाएगा और नहीं हथकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। किसी बाल को गिरफ्तारी के पूर्व या गिरफ्तारी के उपरान्त क्या कार्रवाई की जानी है J.J. Rule के नियम–11 में स्पष्ट उल्लेख है। सभी पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि नियम का अवलोकन कर लेने तथा अपने अधिस्थ को भी अवगत करा देंगे। उक्त नियम 11 के उप धारा 7 एवं 11 अति महत्वपूर्ण है जो निम्नवत है:– (7)The police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station,shall exercise the power of apprehending the juvenile only in cases of his alleged involvement in serious offences (entailig a punishment of more than 7 years imprisonment for adults).

(11)In dealing with cases of juveniles in conflict with law the police or the Juvenile of the Child Welfare Officer from the nearest police station, shall not be required to register an FIR or file a charge-sheet,except where the offence alleged to have been committed by the juvenile is of a serious nature such as rape,murder or when

such offence is alleged to have been committed jointly with adults; instead,in matters involving simple offences, the Police or the Juvenile or the Child Welfare Officer from the nearest police station shall record information regarding the offence alleged to have been committed by the juvenile in the general daily diary followed by a report containing social background of the juvenile and circumstances of apprehnsion and the alleged offence and forward it to the Board before the first hearing. उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि यदि बाल किसी गंभीर प्रकृति के आरोप में आरोपित नहीं है तो प्राथमिकी दर्ज करने की कोई बाध्यता नहीं है।

(18) उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–82 में प्रावधान है कि सात वर्ष से कम उम्र के बच्चे के विरूद्ध अपराध नहीं है तथा भारतीय दण्ड संहतिा की धारा–83 में प्रावधंन है कि 7–12 वर्ष के बीच के बच्चों द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं है यदि उक्त बच्चे को अपने किये गये कार्य के बारे में ज्ञान न हो। धारा 82 एवं 83 निम्नवत है:–

(82) Nothing is an offence which is done by a child under seven years of age.

(83) Nothing is an offence which is done by a child above seven years of age and under twelve, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion.

अतः किसी भी परिस्थिति में किसी भी सात वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा कोई काण्ड किया गया है तो आरोपित नहीं की जाय और यदि 7–12 के उम्र के बच्चों के द्वारा काण्ड कारित किया जाता है और उक्त बच्चों को किये गये कार्य के फल की जानकारी नहीं है तो उसे आरोपित नहीं किया जाय।

16/3/2012

पुलिस महानिरीक्षक
सह नोडल पदाधिकरी,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखण्ड, राँची।

प्रतिलिपिः– 1.सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2.सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।